



राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)

प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

दूरभाष 0141-2565087 / 2565088 / 2565089 ईमेल: rswcho@gmail.com

क्रमांक : प्र.का./स्था/प्रशा./एफ. 50/1997-98/ 3358

दिनांक : 19.03-2021

कार्यालय आदेश

निगम द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेशों के अतिक्रमण में निगम के भण्डारगृहों पर कार्य की सुगमता एवं त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से कार्यरत भण्डार प्रबंधको को निम्न प्रकार से वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है -

S.N.	Nature of Powers	Amount in Rs.
1	To Purchase Store	
	(a) Recurring	Rs. 3000/- in each case but not more than Rs. 36000/- per annum.
	(b) Non - recurring	Rs. 12000/- per annum
2	To incur expenditure on petty repairs and maintenance of building	Rs. 10000/- in each case but not more than Rs. 60000/- per annum.
3	Purchase of Stationery Locally	Rs. 1500/- per month but not more than Rs. 15000/- per annum.

उक्त वित्तीय शक्तियों भण्डार प्रबंधक के नियमित वेतनमान एवं उससे उच्चतर वेतनमान वाले भण्डार प्रभारियों द्वारा ही उपयोग में ली जाएगी। भण्डार प्रबंधक से निम्न वेतन श्रृंखला वाले कर्मचारियों द्वारा इन शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा एवं उनके द्वारा प्रस्ताव संबंधित सक्षम अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जावेंगे।

उत्

(पवन कुमार गोयल)
प्रबंध निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (विकास), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
5. ए० सी० पी० (उप निदेशक) को बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
6. समस्त अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
7. समस्त सहायक निदेशक/वरि० भण्डार प्रबंधक/भण्डार प्रबंधक

(योगेश कुमार वर्मा)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)